उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
लखनऊः दिनॉकः 27 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (भारत सरकार अधिनियम संख्या–16/2016) की धारा 75 में व्यवस्था है कि समुचित सरकार "भू–सम्पदा विनियामक निधि" नामक एक निधि का गठन करेगी जिसमें विनियामक प्राधिकरण को प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस तथा इन पर प्रोद्भूत ब्याज को जमा किया जायेगा।

2– भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (भारत सरकार अधिनियम संख्या–16/2016) की धारा 75(1) की व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक निधि का एतद्द्वारा गठन किया जाता है। इस हेतु भू–सम्पदा अधिनियम, 2016 की धारा 75(1) में वर्णित प्राप्तियों के लिए विनियामक प्राधिकरण में संचालित समस्त बैंक खाते तत्काल प्रभाव से विनियामक निधि के रूप में संचालित माने जायेंगे। उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक निधि से संबंधित अन्य प्राविधान निम्नवत् हैं :–

(1) निधि के स्रोत

भू–सम्पदा विनियामक निधि में निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी:

(क) विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान,

(ख) भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अधीन प्राप्त समस्त प्रकार के शुल्क/फीस,

(ग) खंड (क) से खंड (ख) में निर्दिष्ट रकमों पर प्रोद्भूत ब्याज।

(2) विनियामक निधि का उपयोग

विनियामक निधि का उपयोग निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा–

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, न्यायनिर्णायक अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं।

(ख) विनियामक प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में उसके और भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रयोजनों के लिए अन्य व्यय।

(ग) भू–सम्पदा विनियामक निधि से धन का व्यय सामान्य वित्तीय नियम के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निधि का संचालन

(1) उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक निधि का संचालन सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(2) निधि का प्रशासन विनियामक प्राधिकरण के ऐसे सदस्यों की समिति द्वारा किया जाएगा जो कि अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए।

(3) निधि का संचालन लखनऊ मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर में अनुसूचित बैंक में खाते के माध्यम से किया जा सकेगा।

(4) निधि का संचालन विनियामक प्राधिकरण में अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी तथा विनियामक प्राधिकरण के वित्त नियन्त्रक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(5) विनियामक प्राधिकरण द्वारा शासकीय अनुदान, भू–सम्पदा अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा नियमावली के प्राविधानों के कम में प्राप्त शुल्क एवं इन धनराशियों पर प्रोद्भूत ब्याज के रूप में प्राप्त की गयी समस्त धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी।

(6) विनियामक निधि से निकासी की कार्यवाही प्राधिकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदित बजट के अन्तर्गत सक्षम स्तर से सुसंगत मद में व्यय की स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी।

(4) विनियामक निधि में उपलब्ध बचत का निवेश

(1) विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनियामक निधि में उपलब्ध बचतों की धनराशि को शार्ट–टर्म अथवा लॉग–टर्म डिपॉजिट के रूप में किसी अनुसूचित बैंक में विनियामक प्राधिकरण में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त रखा जा सकेगा। इन्सीडेन्टल चार्ज/बैंक चार्ज आदि का व्यय भी निधि से किया जा सकेगा।

(2) उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक निधि का संचालन भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के साथ सह–विस्तृत (co-extensive) होगा।

(3) भू–सम्पदा विनियामक निधि की समाप्ति अथवा भविष्य में आवश्यकता न रहने पर निधि की अवशेष धनराशि राज्य सरकार में निहित

हो जायेगी।

3 – उक्त आदेश वित्त विभाग द्वारा कम्प्यूटर संख्या–E8-483-X-2022-23 दिनांक–20.01.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
9. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
10. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
12. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
15. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
16. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
17. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन।
18. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
19. अनु सचिव (लेखा), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by अरूणेश कुमार द्विवेदी
Date: 26-06-2023 [illegible]:58
Reason: Approved

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव